



बिहार सरकार

# पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक -11 नि० गो० वि० (01)-15/2017 .....

दिनांक -..... 2018

प्रेषक,

डा० जागृति प्रसाद सिंह,  
संयुक्त निदेशक (प० स्वा०) –सह–  
वरीय प्रभारी पदाधिकारी, (अराजपत्रित निगरानी)।

ई-मेल/  
वेबसाईड

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, सारण (छपरा)/ सहरसा।  
सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी (शिवहर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), पश्चिम चम्पारण  
(बेतिया), वैशाली (हाजीपुर), मुजफ्फरपुर, सासाराम, पटना, कैमुर (भभुआ), दरभंगा, औरंगाबाद,  
भोजपुर (आरा), गया एवं नवादा, खगड़िया, सीतामढ़ी नालन्दा / अरवल / जहानाबाद /  
औरंगाबाद एवं बक्सर/ अररिया/सिवान/ पूर्णियाँ/ मुंगेर/ जमुई एवं नालन्दा को छोड़कर)।  
बिहार, पटना।

विषय :- दिनांक-01.08.1985 के पूर्व से कार्यरत श्रमिकों के पदस्थापन का वर्तमान स्थिति  
उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक-3029 (नि०) दिनांक-27.12.2016, पत्रांक-325 (नि०)  
दिनांक-10.02.2017, पत्रांक-406 (नि०) दिनांक-17.02.2017, पत्रांक-1446 (नि०) दिनांक-27.03.2017 पत्रांक-1680  
(नि०) दिनांक-25.04.2017 एवं पत्रांक-1858 (नि०) दिनांक-23.05.2017, पत्रांक-3090 (नि०) दिनांक-22.09.2017,  
पत्रांक-3887 (नि०) दिनांक-08.11.2017 एवं पत्रांक - 4091 (नि०) दिनांक - 01.12.2017 पत्रांक - 140 (नि०) दिनांक-  
15.01.2018, पत्रांक-479 (नि०) दिनांक-15.02.2018 एवं पत्रांक-1171 (नि०) दिनांक-06.04.2018 द्वारा मांगा गया  
प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। बार - बार आपको स्मारित करने के बावजूद भी अभी तक दिनांक-01.08.1985 के पूर्व से  
कार्यरत श्रमिकों के पदस्थापन का वर्तमान स्थिति उपलब्ध नहीं कराया जाना अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है।

अतः उक्त विषांकित संदर्भ के आलोक में आपको पूनः स्मारित करते हुए निदेशित किया जाता है कि  
संबंधित वांछित प्रतिवेदन व्यक्तिगत रुचि लेकर विशेष दूत/ विभागीय वेबसाईड के माध्यम से अनिवार्य रूप से पत्र प्राप्ति  
के एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

विदित हो कि मामला निगरानी विभाग, बिहार, पटना में भी लंबित है।

इस संबंध में किसी भी तरह के विलंब अथवा प्रतिकूल परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा० जागृति प्रसाद सिंह)  
संयुक्त निदेशक (प० स्वा०) –सह–  
वरीय प्रभारी पदाधिकारी,  
(अराजपत्रित निगरानी)।

ज्ञापांक-11 नि0 गो0 वि0 01-15/2017 1445 (नि0)

पटना-15, दिनांक-16/05/2018

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट/ ई-मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

*P.S.*

15.5.18

संयुक्त निदेशक (प0 स्वा0) -सह-

वरीय प्रभारी पदाधिकारी,

(अराजपत्रित निगरानी) ।

# पशुपालन निदेशालय, बिहार



97

कार

dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष / फ़ैक्स - 0612-2215962

पत्रांक -11 नि० गो० वि० (01)-15/2017

1171 (17)

दिनांक 06/04/2018

प्रेषक,

डॉ० कृष्णकांत कुमार,  
उप निदेशक (मु०) -सह-  
वरीय प्रभारी पदाधिकारी, (अराजपत्रित निगरानी)।

ई-मेल/  
वेबसाइट

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, सारण (छपरा)/ सहरसा।  
सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी (शिवहर, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), पश्चिम चम्पारण  
(बेतिया), वैशाली (हाजीपुर), मुजफ्फरपुर, सासाराम, पटना, कैमुर (भभुआ), दरभंगा, औरंगाबाद,  
भोजपुर (आरा), गया एवं नवादा, खगड़िया, सीतामढ़ी नालन्दा / अरवल / जहानाबाद /  
औरंगाबाद एवं बक्सर/ अररिया/सिवान/ पूर्णियाँ/ मुंगेर एवं जमुई को छोड़कर)।  
बिहार, पटना।

विषय :- दिनांक-01.08.1985 के पूर्व से कार्यरत श्रमिकों के पदस्थापन का वर्तमान स्थिति  
उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक-3029 (नि०) दिनांक-27.12.2016, पत्रांक-325 (नि०)  
दिनांक-10.02.2017, पत्रांक-406 (नि०) दिनांक-17.02.2017, पत्रांक-1446 (नि०) दिनांक-27.03.2017 पत्रांक-1680  
(नि०) दिनांक-25.04.2017 एवं पत्रांक-1858 (नि०) दिनांक-23.05.2017, पत्रांक-3090 (नि०) दिनांक-22.09.2017,  
पत्रांक-3887 (नि०) दिनांक-08.11.2017 एवं पत्रांक - 4091 (नि०) दिनांक - 01.12.2017 पत्रांक - 140 (नि०) दिनांक-  
15.01.2018 एवं पत्रांक -479 (नि०) दिनांक-15.02.2018 द्वारा मांगा गया प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त है। बार - बार  
आपको स्मरित करने के बावजूद भी अभी तक दिनांक-01.08.1985 के पूर्व से कार्यरत श्रमिकों के पदस्थापन का वर्तमान  
स्थिति उपलब्ध नहीं कराया जाना अत्यन्त ही खेदजनक स्थिति है।

अतः उक्त विषांकित संदर्भ से संबंधित प्रतिवेदन व्यक्तिगत रुचि लेकर विशेष दूत/ विभागीय वेबसाइट  
के माध्यम से अनिवार्य रूप से पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया  
जाय।

विदित हो कि मामला निगरानी विभाग, बिहार, पटना में भी लंबित है।

इस संबंध में किसी भी तरह के विलंब अथवा प्रतिकूल परिस्थिति के लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन  
6/4/2018

(डॉ० कृष्णकांत कुमार)

उप निदेशक (मु०) -सह-

वरीय प्रभारी पदाधिकारी,

(अराजपत्रित निगरानी)।